न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी—श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या— 64/2007
तारीख निर्णय— 26/11/2019

प्रार्थीगण :—

1. भगवतसिंह पुत्र जगदीशसिंह
2. देवीसिंह पुत्र जगदीशसिंह जी
3. जनक कंवर पत्नि जगदीशसिंह
   जातिगण—रावणा राजपूत

—: बनाम :—

अप्रार्थीगण—

1. राजस्थान सरकार(भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला—पाली
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग, पाली
3. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग, जयपुर
4. मुख्य वनजीव प्रतिपालक देवाली, उदयपुर

—: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1— प्रार्थीगण की ओर से— वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।
2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 26.11.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सुपठित के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय जगदीश सिंह जी पुत्र मोडसिंह जी का स्वर्गवास काफी वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता इंडियन एयर फोर्स मे जुनियर वा[illegible]सर थे। एयर फोर्स मे रेंक अधिकारी को केन्द्रीय व राज[illegible] भूमि [illegible]नुसार आंवटित होती है।जिस अनुसार मौजा ग्राम घाणेराव में [illegible] व काबिल काश्त [illegible] खसरा नम्बर 701 में से 15 बीधा बारानी कृषि भूमि [illegible] 1961 के लगभग [illegible] हुई। जिसके नये खसरा नम्बर 3508 रकबा 0.94 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3510 रकबा

लगातार पेज नम्बर :—2

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:26 IST
Reason: SelfAttested

जिसके नये खसरा नम्बर 3508 रकबा 0.94 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3510 रकबा 1.46 हैक्टेयर कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर है। जिस पर प्रार्थीगण के मृत पिता जगदीशसिंह का संवत 2009 से लगातार कब्जा काश्त है।उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के मृत पिता जगदीश सिंह जी का बहैसियत खातेदार के राजस्व रिकार्ड में पदर्ज हुआ।प्रमाणस्वरूप जमांबन्दी संवत 2026 से 2029 भुप्रबंध का पर्चा, सन 1968 की पटवारी हल्का आवंटन रिपोर्ट पेश है।अप्रार्थीगण ने आपसी मिलावट कर गलतरूपेण वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विभाग वन विभाग में दर्ज कर दिया। वाद ग्रस्त आराजी के रिकार्ड मे अप्रार्थीगण अपने गलत फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान प्रार्थीगण के बहैसियत खातेदार के कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी कर पत्थर की बाउण्ड्री को तोडकर खाई खोदना चाहते है। अतः नक्शे मे मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी हस्तक्षेप, तोड फोड की कार्यवाही न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे जिस हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ओर से जवाब पेश किया।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि आंवटन सनद या रेकर्ड की नकल पेश नही की गई है।प्रार्थी के कब्जा काश्त की जानकारी नही है।वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते में रेकर्ड अनुसार दर्ज है।प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करने का वन विभाग को अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी को किसी प्रकार से क्षति होने की सभांवना नही है।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व. जगदीशसिंह का प्रार्थना पत्र मे दर्शायी वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही उन्हें उक्त भूमि कभी आवंटित हुई थी। चूकि मौजा ग्राम घाणेराव के पुराने खसरा न. 701 के साथ खसरा नम्बर 491, 796, [illegible] ल रकबा 1667.15 बीघा भूमि जंगलात विभाग की खातेदारी [illegible] संवत 2030–2033 से स्पष्ट साबित होता है।अप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] भी किसी भी व्यक्ति, संस्था, विभाग ने कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया तथ [illegible] प्रार्थीगण को कभी भी भौतिक रूप से कब्जा ही सुपुर्द किया तो प्रार्थी के पास कब्जा कहा से आया तथा उसे बेदखल करने की आशंका कैसे पैदा हो गई। प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही होने से उसे अप्रार्थी गण विरूद्ध कोई अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:26 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज नम्बर :–3

सहायक कलेक्टर
[illegible] देसूरी (पाली)

निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 141 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण के वाद पत्र के तथ्यो से भिन्न व अतिरिक्त प्रस्तुत कर नये तथ्य जवाब मे गलत वर्णित किये है।

अप्रार्थी संख्या 2 , 3, व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी धारा 141 सीपीसी का जवाब दिया गया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 को दिनांक 02.08.2017 को स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी को जवाबबुल जवाब के आदेश दिये गये। परन्तु आज दिनांक तक वकील प्रार्थी ने जवाबबुल जवाब पेश नही करने पर अवसर समाप्त किया जाता है।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेत अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :–प्रार्थीगण के वकील ने कथन किया कि प्रार्थीगण के मृत पिता जगदीशसिंह का संवत 2009 से लगातार कब्जा काश्त है। यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विभाग वन विभाग अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया। वाद ग्रस्त आराजी के रिकार्ड मे अप्रार्थीगण अपने गलत फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान प्रार्थीगण के बहैसियत खातेदार के कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी कर पत्थर की बाउण्ड्री को तोडकर खाई खोदना चाहते है।

इस संबंध मे अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते में रेकर्ड अनुसार दर्ज है। तथा कब्जा काश्त के संबंध में नायब तहसीलदार के रिपोर्ड के अनुसार भूमि आवंटन के रिकोर्ड की नकल पेश नहीं की गई है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की जानकारी नही है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का एक मात्र प्रार्थीगण [illegible] तैनी खातेदारी व आधिपत्य की विद्यमान होने से वादग्रस्त आराजी का [illegible] बने रहने काश्त करने का पूर्व विधिक अधिकार मात्र प्रार्थीगण [illegible] प्राप्त है। दौराने सेन्टलमेन्ट के वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वन वि[illegible] का दर्ज कर दिया।

इस संबंध मे अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी वन विभाग की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण को किसी

लगातार पेज नम्बर :–4

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:26 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रकारसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते हैं। तथा न ही उक्त भूमि के उपयोग उपभोग तथ उस पर काश्त करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार ही प्राप्त होते है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। वादग्रस्त आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा। कब्जे काश्त में दखलअंदाज, गलतरूपेण, बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी के चारों ओर विद्यमान प्रार्थीगण की पत्थर की बाउण्ड्री को तोडकर खाई खोदना चाहते है।जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति पहुचेगी।

इस संबंध मे अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि एकमात्र वन विभाग की है एवं उनमे सुधार अथवा उसको विकसित करने का अधिकार वन विभाग को है। जिसे किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा जाना न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्ध है।

वाद खातेदारी की घोषणा व बंटवाडा का है। वादग्रस्त आराजी कब्जा काश्त के संबंध में प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ड के अनुसार भी भूमि आवंटन सनद या रिकोर्ड की नकल पेश नही की गई है। उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से अतिक्रमण करने की स्थिति मे नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करने का अधिकार वन विभाग को प्राप्त है तथा वन विभाग की सम्पति को किसी भी व्यक्ति, संस्था, या विभाग को आवंटित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को ऐसी कोई क्षति नही होगी। अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–26/11/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)